भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2071

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

हरियाणा में शहरी क्षेत्रों का विकास

2071. श्री जय प्रकाशः

श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा के हिसार तथा सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र विकास परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना, आवास, परिवहन, जल निकासी तथा नागरिक सुविधाओं को सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि केंद्र प्रायोजित अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत अनेक शहरी विकास परियोजनाएँ वित्तीय विलंब एवं समन्वय के अभाव के कारण समय पर पूर्ण नहीं हो सकी हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2019 से उक्त संसदीय क्षेत्रों के लिए कितनी शहरी विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा इस संबंध में कुल कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित, निर्गत एवं व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त संसदीय क्षेत्रों में शहरी विकास परियोजनाओं के समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोई विशिष्ट कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भविष्य में उक्त संसदीय क्षेत्रों में समावेशी एवं स्वीकृत शहरी विकास सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित समयबद्ध कार्ययोजना क्या है; और

(च) क्या परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब, लागत में वृद्धि अथवा समन्वय के अभाव के कारणों की समीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

क) से (च): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ, संविधान के अनुच्छेद **243** ब के उपबंधों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), शहरी परिवहन (यूटी), पीएम-ई-बस सेवा आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य की योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिज़ाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियाँ जारी करती हैं।

<u>अमृत:</u> यह मिशन वर्ष 2015 में देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था। यह मिशन शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, पार्क और हरित स्थान, तुफानी वर्षा जल निकासी आदि के क्षेत्रों में मूल अवसंरचना के विकास पर केंद्रित था। अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी यूएलबी/शहरों में शुरू किया गया है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। जलाशयों का पुनरूद्धार, हरित स्थानों और पार्कों का विकास इस मिशन के अन्य घटक हैं। इस मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता-निर्धारण और कार्यान्वयन का अधिकार है।

अमृत के तहत, हरियाणा राज्य ने हिसार और सोनीपत लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 533.49 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाओं शुरू की है, जिनमें से 517.40 करोड़ रुपये का कार्य भौतिक रूप से पूरा हो चुका है।

जिले-वार शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

जिला	जल आपूर्ति			सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन			जल निकासी			अन्य (पार्क)		
	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या
भिवानी	3	14.33	3	3	7.84	3	2	54.67	2	2	0.82	2
हिसार	3	32.91	2	3	71.2	3	-	-	-	2	0.82	2
जींद	-	-	-	2	11.7	2	2	24.62	2	2	0.82	2
सोनीपत	3	76.33	3	3	87.5	3	2	149.11	1	1	0.82	1
कुल	9	123.57	8	11	178.24	11	6	228.4	5	7	3.28	7

अमृत 2.0 के तहत अब तक, हिसार और सोनीपत लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 1,204.19 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। परियोजनाओं का जिले-वार विवरण इस प्रकार है:

जिला	सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन			जल आपूर्ति		
	संख्या	लागत (करोड़ रु. में)	भौतिक रूप से पूरा किया गया कार्य (करोड़ रु. में)	संख्या	लागत (करोड़ रु. में)	भौतिक रूप से पूरा किया गया कार्य (करोड़ रु. में)
भिवानी				2	144.89	70.76
हिसार	1	236.36	2.8	6	187.36	93.26
जींद				4	501.13	187.14
सोनीपत				4	134.45	27.35
कुल	1	236.36	2.8	16	967.83	378.51

अमृत/अमृत 2.0 के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी/स्वीकृत की जाती हैं, न कि जिला-वार। अमृत के तहत, हरियाणा राज्य को परियोजनाओं के लिए कुल 764.51 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई थी। 746.39 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है, जिसके लिए 736.97 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं।

अमृत 2.0 के तहत, हरियाणा राज्य को परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल केंद्रीय सहायता 1,496 करोड़ रुपये थी। अब तक उन परियोजनाओं के लिए 463.73 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है/मूल स्वीकृति जारी की गई है, जिनके लिए 133.74 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं।

मिशन दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति आवधिक रूप से मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत 2.0 के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए, स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। आईआरएमए की रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। इसके अलावा, अमृत 2.0 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। प्रगति और परियोजना-वार परिणामों पर नज़र रखने के लिए एक निर्धारित अमृत 2.0 ऑनलाइन पोर्टल है।

पीएमएवाई-यू भूमि और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, उनके नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू के तहत देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी),

किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सस्ती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए सहायता प्रदान की जा सके। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 दिशानिर्देश और एकीकृत वेब-पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत सोनीपत और हिसार संसदीय क्षेत्र में भौतिक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:

क्र. सं.	**विवरण**	**सोनीपत**	**हिसार**
1.	स्वीकृत आवास (संख्या)	10,584	11,013
2.	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	6,932	7,058
3.	पूर्ण आवास/लाभार्थियों को सौंपे गए आवास (संख्या)	5,702	5,801
4.	वर्ष 2019 से स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	68.26	26.01
5.	वर्ष 2019 से जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	73.29	60.44
6.	वर्ष 2019 से उपयोग की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	87.42	83.17

<u>शहरी परिवहन</u>:

वित्तीय वर्ष	**मेट्रो रेल परियोजना का नाम**	**राज्य**	**लंबाई (किमी में)**	**लागत (करोड़ रुपये) में**
2024-25	दिल्ली मेट्रो रिठाला कुंडली	दिल्ली और हरियाणा (सोनीपत जिला)	26.43	6,230.99

<u>पीएम-ई-बस सेवा</u>: पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत, प्राप्त मांग के अनुसार हरियाणा राज्य के लिए कुल 450 ई-बसों को इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसमें हिसार की 50 ई-बसें भी शामिल थीं। विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**शहर**	**स्वीकृत बसों की संख्या**	**संबद्ध अवसंरचना के लिए स्वीकृत धन राशि (करोड़ रुपए में)**
1	फरीदाबाद	100	16.41
2	गुरुग्राम	100	5.72
3	हिसार	**50**	**-**
4	रोहतक	50	
5	पानीपत	50	
6	करनाल	50	
7	यमुना नगर	50	
कुल		**450**	**22.13**

***